न्यायालय, मुंसिफ (पूर्णियाँ)

T.S 02/2022

10.05.2023 उभय पक्षों की ओर से हाजरी दी गई।

वाद पुकार पर उभय पक्ष अपने–अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ न्यायालय में उपस्थित हुए, तथा वादी की ओर से दिनांक–26.04.2023 का आदेश–22 नियम–4 के प्रतिस्थापन आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। इनका कथन है कि प्रतिवादी शिवशंकर शर्मा की मृत्यु दिनांक–12.03.2023 को हो गई है। अतः इनके वारीशान एक मात्र पुत्र राजेन्द्र शर्मा एवं पांच पुत्री क्रमशः सुकुमारी देवी, जिरिया देवी , झलिया देवी, रिंका देवी एवं रम्भा देवी को पक्षकार बनाया जाना अतिआवश्यक है। अतः वादी की ओर से दिनांक–26.04.2023 को दाखिल प्रतिस्थापन आवेदन स्वीकृत करने की कृपा की जाय। वही प्रतिवादी के ओर से इनके विद्वान अधिवक्ता कोई आपत्ति जाहिर नहीं करते है।

सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से पाया जाता है कि प्रस्तुत वाद के एक मात्र प्रतिवादी शिवशंकर शर्मा की मृत्यु दिनांक–12.03.2023 को हो गई है। जिसकी सूचना प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दी गई है। अतः मृतक के वारीशानों को पक्षकार बनाया जाना न्यायहित में आवश्यक प्रतीत होता है। अतः ऐसी परिस्थिति में वादी के दिनांक–26.04.2023 के आवेदन को तद्नुसार **स्वीकृत** किया जाता है।

वादी विहित समय के अन्दर मृतक वादी के वारीशानों के नाम को वाद–पत्र में अंकित करें तथा इनकी उपस्थिति हेतु सम्मन का आपेक्ष दाखिल करे।

वाद दिनांक–30.05.2023 वास्ते सम्मन का आपेक्ष।

मुंसिफ

बनमनखी।

30.05.23